BROADCASTERS GET A BREATHER FROM NTO 2.0

The NTO 2.0 hearing in Supreme Court has been pushed till February and the broadcasters have got relief from NTO 2.0 till April 2022.

The broadcasters must be heaving a sigh of relief with TRAI extending NTO 2.0 implementation deadline to 1st April 2022. TRAI did show alacrity in pushing the deadline to April 2022. TRAI had received representations from many service providers and their associations such as broadcasters, DTH Operators, MSOs and other DPOs.

"In view of the complexities and magnitude of processes involved and keeping in view of the past experiences, it would be prudent that sufficient time should be given for migration of consumers to New Regulatory Framework 2020 to avoid any inconvenience to consumers. Sufficient time for exercising an informed choice is the basic premise of the New Regulatory Framework 2020 which will ensure easy implementation of New Regulatory Framework," the TRAI stated. The current TRAI chairman PD Vaghela is much more receptive to suggestions.

DPOs will have to obtain the option for subscription of new bouquets or channels from the subscribers in compliance with the provisions of NTO 2.0 from 1st February 2022 to 31st March 2022.

Broadcasters will have to submit new Reference Interconnect Offers (RIOs) to the TRAI by 31st December 2021 and simultaneously publish the required information about channel and bouquet offerings and their MRPs on their websites. The broadcasters who have already submitted their RIOs in

TRAI
सत्यमेव जयते
Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

प्रसारकों को एनटीओ 2.0 से राहत मिली

सुप्रीम कोर्ट में एनटीओ 2.0 की सुनवाई को फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है और प्रसारकों को एनटीओ 2.0 से अप्रैल 2022 तक राहत मिल गयी है।

ट्राई द्वारा एनटीओ 2.0 के कार्यान्वयन की समय सीमा को 1 अप्रैल 2022 तक बढ़ाने के साथ प्रसारकों ने राहत की सांस ली है। ट्राई ने समय सीमा को अप्रैल 2022 तक आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाई। ट्राई को कई सेवा प्रदाताओं और उनके एसोसिएशन जैसे प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर, एमएसओ व डीपीओ की ओर से परामर्श प्राप्त हुए थे।

ट्राई ने बताया कि 'इसमें शामिल प्रक्रियाओं की जटिलताओं और परिमाण को देखते हुए और पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह विवेकपूर्ण होगा कि उपभोक्ताओं को किसी भी असुविधा से बचने के लिए नये नियामक ढ़ांचे 2020 में उपभोक्ताओं के प्रवास के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। एक सूचित विकल्प का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 का मूल आधार है जो नये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के आसान कार्यान्वयन की सुनिश्चितता करेगा।' ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष पीडी वघेला सुझावों के प्रति अधिक ग्रहणशील लगे।

डीपीओ को 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक एनटीओ 2.0 के प्रावधानों के अनुपालन में ग्राहकों से नये बुके या चैनलों की सदस्यता का विकल्प प्राप्त करना होगा।

प्रसारकों को 31 दिसंबर 2021 तक ट्राई को नये रेफ्रेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) जमा करने होंगे और साथ ही चैनल या बुके ऑफरिंग और उनके एमआरपी के बारे में आवश्यक जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। जिन प्रकाशकों ने एनटीओ 2.0 के अनुपालन में अपने रियो को पहले ही जमा कर दिया है, वे 31 दिसंबर 2021 तक अपने रियो को संशोधित कर सकते हैं।

compliance of NTO 2.0 can revise their RIOs by 31st December 2021.

Under NTO 2.0, channels with MRP above ₹ 12 cannot be a part of any bouquet. This has forced broadcasters to keep their popular channels out of the bouquet. The top 5 broadcasters have priced their most popular GECs above ₹ 20, which means that these channels cannot be a part of any bouquet. As a result, the cost of pay-TV services is expected to go up for the subscribers.

The other view being floated by one of the broadcasters is that TRAI cannot implement NTO 2.0 as the NTO 2.0 is far away from implementation. Currently broadcasters have filed RIOs. Implementation will only happen when DPOs go to subscribers with their offerings. DPOs have told TRAI that they will not be able to implement NTO 2.0 because broadcasters have raised the prices.

TRAI will not backtrack on NTO 2.0 as they have given enough time to the industry to migrate to NTO 2.0 regime and DPOs will deliver the offerings and consumers will drop channels due to the price increase.

It will be interesting to see how the future unfolds in 2022. Come April 2022, there is bound to be lots of action coming up! ■

एनटीओ **2.0** के तहत **12** रुपये से अधिक एमआरपी वाले चैनल किसी भी बुके का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसने प्रसारकों को अपने लोकप्रिय चैनलों के बुके से बाहर रखने के लिए मजबूर किया है। शीर्ष **5** प्रसारकों ने अपने सबसे लोकप्रिय जीईसी की कीमत **20**रुपये से अधिक रखी है जिसका अर्थ है कि ये चैनल किसी भी बुके का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। नतीजतन, ग्राहकों के लिए पे–टीवी सेवाओं की लागत बढ़ने की उम्मीद है।

एक अन्य प्रसारक ने यह भी विचार व्यक्त किया कि ट्राई एनटीओ **2.0** को लागू नहीं कर सकता है क्योंकि एनटीओ **2.0** कार्यन्वयन से बहुत दूर है। वर्तमान में प्रसारकों ने रियो दाखिल किया है। कार्यान्वयन तभी होगी, जब डीपीओ अपने ऑफरिंग के साथ ग्राहकों के पास जायेंगे। डीपीओ ने ट्राई से कहा है कि वे एनटीओ **2.0** को लागू नहीं कर पायेंगे क्योंकि प्रसारकों ने कीमतें बढ़ा दी है।

ट्राई एनटीओ **2.0** से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उन्होंने उद्योग को एनटीओ **2.0** शासन में माइग्रेट करने के लिए पर्याप्त समय दिया है और डीपीओ इस ऑफरिंग को डिलिवर करेंगे और उपभोक्ता मूल्य वृद्धि के कारण चैनल छोड़ देंगे।'

यह देखना दिलचस्प होगा कि **2022** में भविष्य कैसा होता है। अप्रैल **2022** में, हमें बहुत सारी स्थिति विकास देखने को मिलेगी। ■